

कार्यालय ग्राम पंचायत-

भरतपुर

निकास खण्ड

सांदात

जनपद-

गोमीपुर

प्राप्ति

दिनांक

१०/६/२३

विषय:- जल जीवन मिशन (झर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मायादा

अवगत कराना है कि दिनांक ०२/६/२३ को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत ने नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पार्षदगिक / जूहाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, ऑगनवाडी कार्यकर्ता / सदागिका, कोटेदार, ए०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उत्तर देखक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परियोजना के गुणिया द्वारा दी गयी सहमति पन्न संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

अतः अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु आवश्यक कार्यालयी कराने का काट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

भवदीग

G-2  
ग्राम पंचायत आधिकारी  
ग्राम पंचायत-भरतपुर  
दिल्लीपट्टल सावात गोमीपुर  
दिल्लीपट्टल सावात

M.P. Singh  
Sushma Fouad  
Varanasi (U.P.)

प्रधान...ली.द्वा.रिहं...  
ग्राम पंचायत-भरतपुर  
निकास खण्ड-सावात  
जनपद-गोमीपुर (उ०प्र०)

## ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् डी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: २५/०७/२३  
ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: ०२/०८/२३

2. ग्राम का नाम: भृत्यु  
ग्राम पंचायत का नाम: भृत्यु  
दलोंक का नाम: सालवत  
जिला का नाम: गोपीभुवन  
राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश  
ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वरित्तियों की संख्या और उनके नाम)

### I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : ..... (संख्या) मवेशी कुंडों को और ..... (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् ..... घन्टे निर्धारित गुणवत्ता \* वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष २५.।। ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदृष्टि नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का \_\_\_\_ %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

\* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् डी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति):

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: धृति सिंह

सिंग:

आयु: ३८

प्रधान: लक्ष्मी शर्मा  
ग्राम पंचायत-माला  
विकास खण्ड-गाँवपुर (उत्तराखण्ड)

P. Singh  
(Director)  
Gushma Foundation  
Varanasi(U.P)

## III. सामान्य विवरण

6.


वर्तमान प्रबलता/अप्रबलता के बारमार	सामान्य संख्या
प्रत्यापनी संख्या	1549-22
प्रत्यापनी संख्या	1234-45

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती घरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 66 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घरण - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 50 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): 715

9. कृषि फसल पैटर्न: \_\_\_\_\_

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. मे): 170 म 175

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): \_\_\_\_\_

## IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या सासाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) हाँ  
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) हाँ  
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

1. ज़िला सापेलनिक संस्था का नाम	2. दिया एकाएक ही स्थी उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	3. दिया वर्षी ज़िले में यन्त्रणा संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	4. सोडता गड्डी की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1. समतल	हाँ		
2. आगनवाडी			
3. इमारती भौम			
4. ग्राम पश्चायत भौम	हाँ		
5. बालान			

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 43.86 के.एल.डी.  
 मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 36 के.एल.डी.  
 मवेशी कंडों की आवश्यक संख्या: 5  
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 61.44 के.एल.डी.  
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 76 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:
17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेल गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: नहीं
18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आशिक कथ्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त नहीं
19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: मलेरिया, हैंजा, तामाक्ट
- पानी की गुणवत्ता
20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: \_\_\_\_\_
21. सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_
22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

मापदंड	तरीका	परिणाम
गर्भावास	प्रयोग तुलना	प्रयोग से तुलना
पानी	प्रयोग तुलना	प्रयोग से तुलना
आग अवधियाता	प्रयोग तुलना	प्रयोग से तुलना
चक्रवात	प्रयोग तुलना	प्रयोग से तुलना
अमावस्या	प्रयोग तुलना	प्रयोग से तुलना
सूखा	प्रयोग तुलना	प्रयोग से तुलना
जलविद्युत उत्तरीया	प्रयोग तुलना	प्रयोग से तुलना
सांग्रहीत	प्रयोग तुलना	प्रयोग से तुलना
प्रसारक	प्रयोग तुलना	प्रयोग से तुलना
प्रसारक	प्रयोग तुलना	प्रयोग से तुलना
ग्रासिनिक (हाटस्पॉट में)	प्रयोग तुलना	प्रयोग से तुलना

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आवादी
_____	_____	_____

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं) **हाँ**

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका काथाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: ४०५४५

## गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 66.36 के.एल.डी.

अलग-अलग सोख्ता गड्ढां वाले परिवारों की संख्या: 2

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 5

आवश्यक सामुदायिक सोख्ता गड्ढों की संख्या : ५

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ / नहीं)

यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: आगे नहीं

यदि नहीं, तो गदला जल प्रबंधन के कोन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहें?

## V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
  - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
  - निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्थिरण वाटर/ स्थानीय या धरती जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
  - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
  - वाटर गिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
  - भिन्नी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारत जल स्रोत: F05414 तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: जल अधिकारी का नाम: \_\_\_\_\_

इस योजना के लिए अभिनिधारित भूमि: पंचापत्ति देवी मिथोरा ब्रह्म

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.इ.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को संपा दी जाएगी: 20

योजना की लागत: 2.60 लाख भारत सरकार का हिस्सा: ✗ राज्य का हिस्सा: ✗

समुदाय का हिस्सा: \_\_\_\_\_ १० % व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:

वार्षिक प्रधालन व रख-रखाव शुल्क:  द्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/  
प्रति घरेलू मासिक जल शुल्क/  
प्रति घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्कः \_\_\_\_\_ काइ दूरस्थ बसावट हो तो, आभानधारत

VI. मेल-जौल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29.	योजनाएँ नाम संक्षेप संकलन अस्त्राय	मौद्रिक विभाग संस्कारण विभाग	आपेक्षा यात्रीविधि जा- यस्कर्मा अवक्तु व संस्कारण विभाग अपशिष्ट तत्त्वाद नात्राव आदि।	प्रस्तावित विधि
	स्वच्छ भारत- मिशन - गांगाधर- (एस वी एम रसी)	प्रद्युम्ना और स्वच्छता एवं जल शक्ति मंडलय	प्रद्युम्ना भारत एवं उत्तराखण्ड (व्यक्तिगत व्यापारायित) अपशिष्ट तत्त्वाद नात्राव आदि।	



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृषि पुनर्जीवन, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नदीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सियाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सियाई का प्रावधान, एकीफसरों से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन परिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, वॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांखियकी और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: दीपा मिश्र

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: जीता पाठ्य

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): जीता पाठ्य

#### संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष: पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. जुन्ली - १३११२९८८८
2. शीती - ९८६५५५८५०
3. श्रीमा - ७४०८६२८५०
4. मंजु - ९८१८५६३१८०
5. रमा - ९१६१३९६१३६

पप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

प्रधान...जीहा...लिंग...  
ग्राम पंचायत-भरतपुर  
विकास खण्ड-सावात  
जनपद-गाजीपुर (उप्र०)

*M.P. Singh  
(Director)  
Sushma Foundation  
Varanasi(U.P.)*